POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! नरेन्द्र मोदी सरकार अपने शासन के चार साल पूरे कर चुकी है। सरकार देश के हर क्षेत्र के विकास और आमजन, खासतौर पर कमजोर वर्ग के हित में पिछले चार सालों में किए गए कार्यों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। मद्देनजर, इस दौरान किए गए अपने प्रयासों को सरकार ने 'साफ नियत, सही विकास' का नारा दिया है।

इस साल राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले है और अगले साल देश में लोकसभा के लिए आम चुनाव होगा। इसे ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने चाहा है कि इस नारे के साथ, किए गए कामों और नीतियों को जनता के बीच लेकर जाया जाए।

इस दृष्टि से केन्द्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों से तालमेल बिठा कर भाजपा सरकार की नीतियों, फ्लैगशिप योजनाओं तथा उपलब्धियों का सम्मिलित खाखा तैयार किया है। इसमें पिछली सरकारों के कुछ काम-काजों की तुलना, केन्द्र सरकार द्वारा चार सालों में किए गए कार्यों से भी की गई है।

सरकार विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर एक अभियान के रूप में इसे आम जनता तक पहुंचाएगी। कहा जा रहा है कि एक चयनित शोध एजेंसी इस बारे में एक बड़ा सर्वेक्षण करेगी और जनता के बीच इसकी सच्चाई और प्रभावशीलता का आकलन भी करेगी। लेकिन एक निष्पक्ष सर्वेक्षण ही जमीनी सच्चाई को उजागर कर पाएगा।

सरकार द्वारा अपने शासनकाल में किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों का हिसाब-किताब रखकर चुनावों में जनता के बीच जाना प्रशंसनीय कदम है। लेकिन जितनी मेहनत प्रचार-प्रसार में हो रही है उतनी ही नीतियों को अमलीजामा पहनाने में भी की जानी चाहिए थी। यह धरातल पर स्वतः दिखना भी चाहिए। कहा भी गया है 'नियत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है।

मिलावट पर उम्रकैद और लगेगा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना

मिलावट के दोषी को खाने की जांच के लिए हुए खर्च की भरपाई भी करनी होगी। खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में संशोधन के प्रस्तावों में यह सिफारिश की है।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में कुल 100 संशोधनों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। खाने में मिलावट पर सख्ती के लिए तो एक नया सेक्शन ही जोड़ने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि कोई भी शख्स खाने-पीने की चीजों में ऐसा कुछ मिलाता है, जिससे खाने वाले को कोई नुकसान, मृत्यु, घायल अथवा बीमार होने की आंशका हो तो मिलावटखोर को कम से कम सात साल की सजा देनी चाहिए। इसे बढ़ाकर उम्रकैद भी किया जा सकता है। जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़ी सजा का यह प्रावधान किया है।

अमेजोन सेलर सर्विस को भारी पड़ा आर्डर कैंसिल करना

जयपुर स्थित मुरलीपुरा निवासी सुनील कुमार शर्मा ने अमेजोन सेलर सर्विस के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच जयपुर-द्वितीय में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने 21 जून 2016 को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए अमेजोन सेलर सर्विस से चार मोबाइल मंगाने के लिए आर्डर दिया था। उन्होंने इन मोबाइलों की पूरी राशि का भुगतान भी ऑनलाइन कर दिया था। लेकिन आर्डर के 12 घंटे बाद ही अमेजोन सेलर सर्विस ने उनके आर्डर को बिना बताए ही कैंसिल कर दिया। उसने आर्डर को क्यों और किन कारणों से कैंसिल किया इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं दी। उन्होंने मंच से निवेदन किया कि इससे उनको मानसिक रूप से क्षति पंहुची है, जिसके लिए उन्हें हर्जाना दिलाया जाए।

मामले की सुनवाई पर जिला उपभोक्ता मंच ने अमेजोन सेलर सर्विस को मोबाइल नहीं भेजने और बिना कोई कारण बताए उनके आर्डर को कैंसिल करने को सेवा दोष माना। मंच ने अमेजोन सेलर सर्विस को आदेश दिया कि वह सुनील कुमार शर्मा को 5000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। मंच ने अपने आदेश में यह हर्जाना राशि दो महीने की अवधि के भीतर अदा करने के लिए कहा है।

शहरी निकायों और जन प्रतिनिधियों को अधिक सक्षम बनाना आवश्यक

25 साल बाद भी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देश में पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। आज भी नगरीय स्वायत्तशासी निकाय ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार पर ही निर्भर है। ये मुद्दा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की 25वीं वर्षगांठ पर 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा नीति आयोग की सहभागिता में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में छाया रहा।

सम्मेलन में नीति आयोग के निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि कोई भी सरकार शत-प्रतिशत दक्षता का दावा करने वाले नियम-कानून लागू नहीं कर सकती। नियम-कानूनों को मजबूत करने का दायित्व हमेशा नागरिकों पर होता है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न केवल राज्य सरकारों, शहरी निकायों पर निर्भर रहा जा सकता है बल्कि नागरिकों की जागरूकता और उनकी विकास में भागीदारी का होना ज्यादा जरूरी है। शहरी निकायों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति का मूल कारण टैक्सों की सही तरह वसूली नहीं होना है।

सम्मेलन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि 74वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि ग्रामीण स्वशासन से जुड़े पंचायतीराज पर लागू है, से पिछड़ता नजर आता है। नगरीय निकायों को दायित्वों की तुलना में संसाधनों, अधिकारों व स्वतंत्रता की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कमी को दूर कर निकायों व जन प्रतिनिधियों को सक्षम बनाना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (नई दिल्ली) की सह प्राचार्य डॉ. देबोलिना कुण्डू सहित अनेक प्रमुख वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।

महिला समूह बने उन्नति का आधार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में स्वयं सहायता समूह उद्यमशीलता, संकल्प और सामूहिक प्रयासों का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। आज हम किसी भी सेक्टर में देखे, तो आपको

वहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी।

समूहों की महिलाओं से ऐप के जरिए रूबरू होते हुए मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है महिलाओं को स्वयं की शक्तियों, अपनी योग्यताओं और हुनर को पहचानने के अवसर उपलब्ध कराने की।

आज स्वयं सहायता समूह देशभर में एक तरह से गरीबों खासकर महिलाओं की उन्नति का आधार बने हैं। इससे महिलाएं जागरूक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनी हैं।

आदर्श गांव सिमटे कागजों में

सांसद और विधायकों के आदर्श गांव घोषित कर सरकार ने मंशा जाहिर की थी कि इससे गांवों में विकास होगा और ऐसी आदर्श व्यवस्थाएं भी कायम होंगी जो अन्य गांवों के लिए मिसाल बनेंगी। इसके विपरीत हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां केवल सरकार की नियमित विकास योजनाओं की राशि ही खर्च हो रही है।

प्रदेश में अब मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है। सरकार को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। मसलन, कितने विधायकों ने अपने गांव को सपनों का गांव बनाया और कितने विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव को आदर्श बनाने में कोई रुचि नहीं ली।

मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार की व्यक्तिगत लाभ की सभी योजनाओं के पात्र लोगों और परिवारों को विशेष अभियान के तहत लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसके लिए जिला कलेक्टरों को 15 अगस्त तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इसके लिए उपखण्ड और पंचायत स्तर पर शिविर लगाने सहित विशेष प्रयास भी किए जाएं। इस तारीख के बाद किसी भी पात्र व्यक्ति का आवेदन लम्बित नहीं रहना चाहिए।

खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि वर्ष 2018-19 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 52 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

राजस्थान में होने वाली प्रमुख फसलों मक्का, ज्वार-बाजरा पर 730 रुपए क्विंटल तक समर्थन मूल्य बढ़ाया है। उन्होंने इसे किसानों के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे सरकार पर 15 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों से वादा किया था कि वह उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलाएगी।

हर प्रत्याशी की संपत्ति की होगी जांच

आगामी आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में सभी प्रत्याशियों पर अब आयकर विभाग नजर रखेगा। ऐसा पहली बार होगा, जब आयकर विभाग प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरते समय हलफनामें में घोषित उनकी आय और संपत्तियों के ब्योरे की जांच करेगा।

यह पहल उस योजना का हिस्सा होगी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तैयार किया है। अगर प्रत्याशियों द्वारा दिया गया ब्योरा सही नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी।

भ्रष्टाचार में राजस्थान की छठी रैंक

राजस्थान में 20 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक सेवाएं लेने के लिए किसी न किसी तरह की रिश्वत देनी पड़ी है। सेंटर फॉर मीडिया

स्टडीज की 'इंडिया करप्शन स्टडी 2018' की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। सरकारी सेवाओं में रिश्वत देने के मामले में सर्वे में शामिल किए गए 13 राज्यों में राजस्थान छठे स्थान पर है।

वर्ष 2005 में 58 फीसदी लोगों ने रिश्वत दी थी। वर्ष 2018 में अब यह आंकड़ा 20 फीसदी रह गया है। इसके उलट सर्वे में सामने आया है कि 51 प्रतिशत लोग मानते हैं कि प्रदेश में रिश्वतखोरी बढ़ी है। साथ ही प्रदेश की 51 प्रतिशत जनता का मानना है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार कम नहीं कर पा रही।

महिला सुरक्षा फंड नहीं हुआ खर्च

महिला सुरक्षा के नाम पर वन स्टॉप सेंटर (सखी केन्द्र) खोलने के लिए राजस्थान सरकार को केंद्र की ओर से मिलने वाला फंड वापस लौट गया है। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा इस धनराशि का समय पर उपयोग ही नहीं किया गया। हालांकि केंद्र ने यह राशि दोबारा जारी कर काम पूरा करने को कहा है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करने के मकसद से देशभर में सखी केंद्र योजना स्वीकृत की थी। प्रदेश को इस योजना के तहत सखी केंद्र खोलने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 3 करोड़ 36 लाख 21 हजार 750 रुपए स्वीकृत किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इस फंड का समय पर उपयोग ही नहीं किया।

उर्वरा शक्ति बढ़ा रही है जैविक खेती

प्रदेश में मारवाड़ क्षेत्र के किसानों ने जैविक खेती को मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में काफी मददगार माना है। क्षेत्र में वर्तमान में 700 से ज्यादा किसान जैविक खाद आधारित खेती ही कर रहे हैं।

दरअसल, हाल ही में मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जिले के खेतों से आने वाली मिट्टी के नमूनों की जांच की गई थी। इसमें खुलासा हुआ है कि रासायनिक खाद और बढ़ते तापमान से मिट्टी की उपजाऊ परत को नुकसान हो रहा है। इसे भांपते हुए शुरुआती दौर में मारवाड़ के कुछ किसानों ने कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों के निर्देशन में जैविक खाद आधारित खेती शुरु की। अब इन किसानों को इसके फायदे नजर आने लगे हैं।

नजीर बना जल स्वावलंबन अभियान

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि जल स्वावलंबन अभियान के तहत प्रदेश को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेमिसाल काम हुआ है। जिस प्रदेश को लोग सूखे और अकाल के कारण जानते थे आज वही प्रदेश इस अभियान के तहत हुए सफल जल संरक्षण कार्यों के लिए देश और दुनिया में एक नजीर बन चुका है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस अभियान के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। जिसमें अब तक 2.61 लाख जल संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है और 88 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस साल सितंबर में शुरू होने वाले चौथे चरण में प्रदेश के 4000 गांवों में जल संरक्षण ढांचे बनाए जाएंगे।

'कट्स' को बनाया उपभोक्ता परिषद का सदस्य

केंद्र सरकार ने 'कट्स' इंटरनेशनल को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्य नियुक्त किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस परिषद में राजस्थान के उपभोक्ता मामलात विभाग के सचिव को भी शामिल किया गया है। परिषद उपभोक्ताओं के लिए सरकार को सुझाव देने वाली सबसे बड़ी संस्था है।

'कट्स' परिषद में राजस्थान के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करेगा और परिषद के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न नीतियों में संशोधन कराने का प्रयास करेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर